न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 69/2019

अपीलान्ट्स
जयराम पुत्र रूघनाथराम, जाति– मेघवाल, निवासी– विजय नगर, खुडियाला, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 58/2018 बअनवान सरकार बनाम जयराम में दिनांक 12.03.2018 को पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओमप्रकाश बूब उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

–: आदेश :– दिनांक :– 13.11.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आदेश तहसीलदार बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या 58/2018 बअनवान सरकार बनाम जयराम में दिनांक 12.03.2018 को पारित किया गया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम विजय नगर, पटवार क्षेत्र खुडियाला के खसरा नं0 920 की 4 बीघा भूमि पर अपीलान्ट एवं उसके भाई ढाणी बनाकर सवंत् 1961 से निवास कर रहे है तथा इनका कब्जा है। खसरा परिवर्तनशील में अपीलान्ट व उसके भाईयों का नाम दर्ज होता रहा है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में अपीलान्ट एवं उसके भाईयों का पिछले 15 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर तौर पर कब्जा एवं काश्त दर्ज हो रहा है।

पटवारी हल्का खुडियाला द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध तहसील कार्यालय बालेसर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बालेसर दिनांक 06.03.2018 को प्रकरण दर्ज करके अपीलान्ट को दिनांक 12.03.2018 की पेशी मुकर्रर की गई। तारीख पेशी दिनांक 12.03.2018 को अपीलान्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट तहसीलदार बालेसर ने आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को विवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी

घोषित करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.03.2018 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। इस अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट अभिभाषक की बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम विजय नगर, पटवार क्षेत्र खुडियाला के खसरा नं0 920 की 4 बीघा भूमि पर अपीलान्ट एवं उसके भाई ढाणी बनाकर सवंत् 1961 से कब्जा चला आ रहा है। खसरा परिवर्तनशील में अपीलान्ट व उसके भाईयों का नाम दर्ज होता रहा है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में अपीलान्ट एवं उसके भाईयों का पिछले 15 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर तौर पर कब्जा एवं काश्त दर्ज हो रहा है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट को दिनांक 12.03.2018 को तारीख पेशी का नोटिस भेजा गया। दिनांक 12.03.2018 को अपीलान्ट तहसीलदार बालेसर के समक्ष उपस्थित हुए एवं उनकी उपस्थिति पर अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना उनकी सहमति दर्शाते हुए आदेश तारीख लिख दी गई जबकि अपीलान्ट के हस्ताक्षर खाली आदेश तारीख पर करवाये गये थे। अपीलान्ट अनुसुचित जाति का गरीब व्यक्ति है तथा अपीलान्ट के पास उपरोक्त भू–भाग के अलावा कोई अन्य भू–भाग नहीं है। अपीलान्ट के पास लगभग 250 भेड़ बकरिया है। अपीलान्ट इस भू–भाग का उपयोग भेड़ बकरियों को रखने के लिए कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उसके भू–भाग पर से बेदखल करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं रहता है। अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से गलत एवं गैर कानूनी है एवं किसी भी रूप में कायम रखने योग्य नहीं है।

अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 को निरस्त फरमावें एवं विवादग्रस्त भू–भाग पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने से नियमितिकरण हेतु सिफारिश फरमावे।

पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया एवं अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि पटवारी हल्का खुडियाला द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व तहसील कार्यालय बालेसर में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बालेसर दिनांक 06.03.2018 को प्रकरण दर्ज करके अपीलान्ट को नोटिस में दिनांक 12.03.2018 की पेशी मुकर्रर की गई तथा

उसी दिन तहसीलदार बालेसर द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। तहसीलदार बालेसर द्वारा अपीलान्ट को जवाब पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर पुनः प्रेषित करना उचित समझते है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार बालेसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2018 को एतद् निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे। अपीलान्ट को निर्देश है कि वह आदेश दिनांक के एक सप्ताह के भीतर न्यायालय तहसीलदार बालेसर में उपस्थित देवें। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार बालेसर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2019.11.27 18:08:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: